

अतिमहत्वपूर्ण

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, मध्यप्रदेश

1250 तुलसी नगर भोपाल

(Telephone- 0755-2556916, FAX-0755-2552665)

(E-mail address: dpswbpl@nic.in)

क्रमांक/सा.सहा./02/2019/ 250

भोपाल, दिनांक 18-02-2019

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर
म.प्र.
2. समस्त आयुक्त नगर निगम
म.प्र.
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत
म.प्र.
4. समस्त संयुक्त/उप संचालक,
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
मध्यप्रदेश।
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जनपद पंचायत
म.प्र.
6. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिक/नगर पंचायत
मध्यप्रदेश।

विषय:- जिला/जनपद/निकाय स्तर पर मृतक पेंशन हितग्राहियों की राशि कोषालय में जमा करने के संबंध में।

---0---

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अन्तर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के साथ-साथ हितग्राहीमूलक योजनाओं का क्रियान्वयन भी किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार पेंशन योजनाओं एवं अन्य योजनाओं में सिंगल क्लिक योजना प्रारम्भ होने के पूर्व जिला स्तर, विकास खण्ड, जनपद स्तर पर पेंशन की राशि आहरित किये जाने की व्यवस्था थी। इस व्यवस्था में पेंशन हितग्राहियों को

राशि/एरियर्स की राशि आहरित कर जिला/विकास खण्ड/निकाय स्तर पर खोले गये विभिन्न बैंक खातों में जमा की जाती रही थी।

ऐसे पेंशन हितग्राही जिनकी मृत्यु हो चुकी है का भौतिक सत्यापन कराये जाने पर 80 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 3304 पेंशन हितग्राहियों की मृत्यु की जानकारी प्राप्त हुई है और यह संख्या अधिक भी हो सकती है। **परिशिष्ट-"अ" संलग्न है।** संबंधित निकायों /ग्राम पंचायतों द्वारा जानकारी अपडेट कर पेंशन पोर्टल पर विलोपित नहीं करने के कारण हितग्राहियों की पेंशन उनके खातों में जमा होती रही है। ऐसे हितग्राहियों की बैंक में जमा राशि शासन के खाते में तत्काल जमा की जाये।

पूर्व में पोस्ट आफिस के माध्यम से भी हितग्राहियों को पेंशन की राशि वितरित की जाती रही है। अतः पोस्ट आफिस में मृत हितग्राहियों/पलायन कर गये हितग्राही/निवास स्थल बदलने के कारण उनकी पेंशन की राशि पोस्ट आफिस को भुगतान हेतु भेजी जाती रही है। उक्त राशि भी शासन के खाते में जमा की जाना है।

उपरोक्तानुसार यदि संबंधित जिला स्तर/ निकाय स्तर एवं जनपद स्तर पर पेंशन राशि आहरित कर बैंक में जमा रखी गई है जो कि वित्तीय नियमों का उल्लंघन है।

अतः अनुरोध है कि यदि पेंशन योजनाओं के साथ साथ हितग्राहीमूलक योजनाओं की राशि का आहरण कर बैंक खाते में जमा की गई है। इस संबंध में म.प्र.शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक/एफ-11-2/2011/नियम/चार दिनांक 31 मई 2011 जारी निर्देशों के तहत तत्काल मूलधन की राशि कोषालय में 0075-अन्य प्राप्तियां मद में चालान के माध्यम से जमा कर आहरण एवं संवितरण अधिकारी को स्वयं हस्ताक्षरित इस आशय का प्रमाण पत्र भेजा जाये कि जिला/ निकाय/जनपद स्तर पर संधारित बैंक में खातों में कोई राशि जमा नहीं है। प्रमाण पत्र का प्रारूप निम्नानुसार है :-

क्रमांक	बैंक का नाम	खाता क्रमांक	बैंक खाते के अनुसार 1 अप्रैल के प्रारम्भ में अवशेष राशि	रोकड़ बही के अनुसार 1 अप्रैल के प्रारम्भ में अवशेष राशि	अन्तर का कारण

उक्त कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाकर 31 मार्च 2019

तक प्रतिवेदन इस संचालनालय को भिजवाने का कष्ट करें।

सफुल्ल लेखा. इ.ग. प्र.स.स.स.

(मनोज बाथम)

उप संचालक

वास्ते संचालक

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण

मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/सा.सहा./02/2019/ 251

भोपाल, दिनांक 18-02-2019

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा) झांसी रोड़ ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

उप संचालक

वास्ते संचालक

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण

मध्यप्रदेश